राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 253/2010/टोंक

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, टोंक .....अपीलार्थी

बनाम

मै0 जैन हैण्डीक्राफ्ट, टोंक .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री बी.के.मीणा,सदस्य
श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री एम.एल.पाटोदी,
अधिकृत अधिवक्ता ..... प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 03/12/2015

निर्णय

अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 17/वेट/2009–10/टोंक में पारित आदेश दिनांक 24.11.2009 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"वेट अधिनियम"** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा हेन्डीकाफ्ट का कय/विकय किया जाता है। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–टोंक (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहार के वर्ष 2006–07 का अधिनियम की धारा 23/24 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.03.2009 को पारित करते हुए हैण्डीकाफ्ट की बिक्री पर 4 प्रतिशत से कर व ब्याज का आरोपण किया गया। इसके अतिरिक्त चारो तिमाहीयों के बिक्री प्रपत्र फार्म – 15 व ट्रेंडिग एकाउण्ट समय पर प्रस्तुत नहीं करने से अधिनियम की धारा 58 व 64 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर, ब्याज व शास्ति की कुल राशि रू0 1,43,114/– का आरोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 24.11.2009 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम की गई मांग राशियों को अपास्त करते हुए, प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त निर्णय से दिनांक 24.11.09 के व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा चारों तिमाहीयों के

बिक्री विवरण प्रपत्र – 15 व ट्रैडिंग एकाउण्ट समय पर जमा नहीं करावाये गये। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा की गई इस बिक्री को अघोषित बिक्री मानते हुए कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया है, जो विधिनुसार है। अपीलीय अधिकारी ने इस आदेश में आरोपित की गई मांग राशियों को अपास्त करने में विधिक भुल की है अतः निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को बहाल करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने हैण्डीक्राफ्ट की कर मुक्त बिक्री की है। कर निर्धारण अधिकारी ने इसे अमान्य करते हुए कर एवं ब्याज का जो आरोपण किया है वह विधिसम्मत नहीं है। अग्रिम कथन किया कि वैट अधिनियम के अनुसार शिड्यूल III व IV में उल्लेखित वस्तुओं पर उनके सामने अंकित दर से कर आरोपित किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा जारी कर दर अधिसूचना में क्रमांक 630 पर हैण्डीक्राफ्स व क्रमांक 1423 पर 300/– रू0 तक के खिलौनों (इलेक्ट्रोनिक्स खिलौनों को छोड़कर) को कर मुक्त किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने हैण्डीक्राफ्ट का विक्रय किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने कर मुक्त हैण्डीकाफ्ट की बिक्री पर कर एवं ब्याज आरोपित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है, उनका निवेदन था कि अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया।

व्यवहारी द्वारा हैण्डीक्राफ्ट की बिक्री की गई है। राज्य सरकार द्वारा कर दर अधिसूचना में दिनांक 01.04.2006 से हैण्डीक्राफ्स व खिलौने 300/– रू0 तक के व इलेक्ट्रोनिक्स खिलौनों को छोड़कर को कर मुक्त किया गया है। इस कारण वेट प्रपत्र–15 की भी आवश्यकता नहीं है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2006–07 का कर निर्धारण आदेश पारित कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा की गई बिक्री पर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया है। परन्तु उक्त अधिसूचना के आलोक में, वर्ष 2006–07 के लिये कर मुक्त माल पर कर व ब्याज का आरोपण किया जाना एक विधिक त्रुटि है। अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी के विरूद्ध आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है।

फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24.11.2009 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

3-12-2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

3/12/15

(बी.के.मीणा)
अध्यक्ष